

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-07/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-80-102-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के अन्तर्गत कुल रु० 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, माँग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245801020005 में विषय शीर्ष-13 01-कार्यालय व्यय तथा विषय शीर्ष-21 01-सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल
1	13-कार्यालय व्यय	01-कार्यालय व्यय	0.00	18.00	18.00
2	21-सामग्री और आपूर्ति	01-सामग्री एवं पूर्तियाँ	0.00	2.00	2.00
कुल योग			0.00	20.00	20.00

- उक्त राशि समादेष्टा, राज्य आपदा मोचन बल, बिहटा के पत्रांक-423 दिनांक-15.04.2026 के माध्यम से की गई अधियाचना के आलोक में व्यय की जाएगी।
- आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाएगी।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मो० नदीमुल गफफार सिद्दीकी)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापक-03/बजट-01-07/2026/.....22/आ0प्र0, पटना-23 दिनांक- 30-04-26

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समादेष्टा, राज्य आपदा मोचन बल, बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

२०/६  
२९/५  
संयुक्त सचिव